



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-3452/JH/38/2024-ESDW-RU-IV

दिनांक: 20/11/2025

सेवा मे,

श्री मंजूनाथ भजंत्री
उपायुक्त,
जिला -रांची
उपायुक्त कार्यालय,
समाहरणालय भवन,
रांची, झारखंड 834001
Email Id: dc-ran@nic.in

विषय: जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा गैर कानूनी ढंग से जबरन कब्जा करने के संबंध में - ग्राम मलटी, पोस्ट इंटकी,
जिला (झारखंड) रांची- का अभ्यावेदन।

संदर्भ: (i) आयोग का सिटिंग नोटिस दिनांक 11.09.2025
(ii) कार्यालय उपायुक्त - सह - दंडाधिकारी, रांची पत्र सं 3868 (ii) दिनांक 16.09.2025

महोदय,

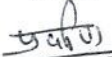
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग मुख्यालय, सम्मेलन कक्ष, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **02.12.2025 को 16:10** बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

भवदीय


(प्रवीण कुमार सिंह) 20.11.25
अवर सचिव

E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री सलखन लकड़ा,
ग्राम मलटी, पोस्ट इंटकी,
जिला- (झारखंड) रांची-835301
Mobile No:9304251709

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading